



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान (सी.आई.पी.)

कांके, रांची - 834 006 (झारखण्ड)



# मरीजों एवं अभिभावकों हेतु आवश्यक जानकारी

1. संस्थान में आने वाले समस्त मरीजों की जाति, धर्म, वंश, मूल व अक्षमता के आधार पर भेद भाव के बिना सम्मान के साथ उपचार किया जाता है।
2. मरीजों को उनके नाम से पुकारे जाने पर सम्बंधित कक्ष में अविलम्ब पहुँचना चाहिए।
3. मरीज अपने उपचार करने वाली टीम के सदस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
4. मरीजों के उपचार से संबंधित चर्चा, परिक्षण एवं इलाज में निजता, सम्मान एवं गोपनीयता का ध्यान रखा जाता है।
5. इलाज के बारे में रोग के निदान से संबंधित जानकारी तथा उसके बाद होने वाले फायदे एवं जोखिम तथा दवाओं से होने वाले प्रभाव एवं दुष्प्रभाव (साईड इफेक्ट) के बारे में डॉक्टर से स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
6. मरीज द्वारा अपनी समस्या एवं उसके निवारण, उपचार से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
7. कोई भी मरीज किसी भी प्रकार के अनुसंधान में भाग लेने के बारे में स्वेच्छा से अपनी सहमती दे सकता है अथवा मना भी कर सकता है।
8. भर्ती मरीज अस्पताल से छुट्टी (डिस्चार्ज) की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
9. संस्थान द्वारा मरीज की किसी विशेष जरूरत, धार्मिक, सांस्कृतिक व अध्यात्मिक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है।
10. संबंधित चिकित्सक के परामर्श के बिना अपने स्तर से दवा बन्द न करें।
11. दवा से होने वाले किसी भी दुष्प्रभाव अथवा बीमारी में आने वाले अचानक बदलाव की स्थिति में तत्काल चिकित्सक से संपर्क करें, परामर्श लें।
12. संस्थान का वाह्य रोगी विभाग (ओ.पी.डी.) रविवार, दूसरा शनिवार एवं विशेष सरकारी अवकाश में बंद रहता है। केवल आकस्मिक सेवाएँ उपलब्ध रहती हैं। आने से पूर्व निचे दिये गए दूरभाष नम्बरों पर जानकारी प्राप्त कर लें।
13. सभी मरीज फॉलो-अप में परामर्श, दवा हेतु नियमित रूप से संस्थान में आयें।
14. अस्पताल में भर्ती शुल्क निम्नलिखित है:
 

(1) क्लास-I - रु. 40/- प्रतिदिन	(2) क्लास-II - रु. 30/- प्रतिदिन	(3) क्लास-III - रु. 10/- प्रतिदिन
---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------
15. कृपया संस्थान परिसर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें एवं शांति के साथ अपना नाम पुकारे जाने की प्रतीक्षा करें।
16. संस्थान में विभिन्न प्रकार की जाँच जैसे खून जाँच, एक्स-रे, सी.टी. स्कैन, एम.आर.आई., ई.इ.जी. इ.सी.जी, मनोवैज्ञानिक परिक्षण आदि अल्प शुल्क में उपलब्ध हैं।
17. रविवार दूसरा शनिवार एवं सरकारी अवकाश आकस्मिक सेवाओं में 24-72 घंटे तक मरीजों को आपातकालीन वार्ड में रखा जाता है।
18. ऑनलाइन अपॉइन्टमेंट के लिए [www.ors.gov.in](http://www.ors.gov.in) अथवा [www.cipranchi.nic.in](http://www.cipranchi.nic.in) पर जाएँ तथा अपने मोबाईल नम्बर अथवा आधार नम्बर की सहायता से अपॉइन्टमेंट सुनिश्चित करें। पुराने मरीज UHID की मदद से अपॉइन्टमेंट ले सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइन्टमेंट लेने वाले मरीजों को प्राथमिकता दी जाती है और उन्हें पंक्ति में नहीं लगाना पड़ता है।
19. टेली परामर्श (टेली कंसल्टेशन) केवल पुराने मरीजों के लिए है। इसके लिए [www.ors.gov.in](http://www.ors.gov.in) अथवा [www.cipranchi.nic.in](http://www.cipranchi.nic.in) पर जाएँ तथा अपने मोबाईल नम्बर अथवा आधार नम्बर की सहायता से टेली कंसल्टेशन विकल्प चुनें और अपॉइन्टमेंट सुनिश्चित करें।
20. वाह्य रोगी विभाग से 100 मीटर की दूरी पर सुलभ शौचालय है। कृपया इसकी जानकारी सुरक्षा गार्ड से लें तथा संस्थान परिसर को स्वच्छ रखने में सहभागी बनें।
21. यदि आप तनाव या चिंता महसूस कर रहे हैं तो हमारे (टोल फ्री) हेल्पलाइन 1800-345-1849 (24x7) पर कॉल करें।
22. असामाजिक तत्वों के झाँसे में ना आयें और किसी भी जानकारी के लिए पंजीकरण काउंटर से सहायता प्राप्त करें। आप अपनी शिकायत या सुझाव, सुझाव पेट्री में लिखकर डाल सकते हैं। सुझाव पेट्री ओ.पी.डी. के मुख्य द्वार के पास है।
23. वाह्य रोगी विभाग में उपचार से संबंधित किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सी.एम.ओ.), प्रशासकीय पदाधिकारी अथवा निदेशक से संपर्क करें।

दूरभाष संख्या: 0651-2450822, 0651-2450406, 0651-2451115, 0651-2450448





भारत सरकार

केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान (सी.आई.पी.)

कांके, रांची - 834 006 (झारखण्ड)



## मनोरोग प्रतिरोधी दवाइयों के सेवन के समय

### क्या करना चाहिए

- मानसिक रोग के लक्षण पहचानें
  - नींद, भूख, रोजमर्रा के कार्यों में निरंतर बदलाव
  - व्यक्तित्व में परिवर्तन
  - लगातार बने रहने वाली उदासी, चिंता घबराहट, बेचौनी
  - नशा और नशा संबंधी विकृतियाँ
- चिकित्सक की अनुमति के बिना दवा की खुराक में फेर-बदल न करें।
- दवा खत्म होने के पहले अपने चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें।
- आप अपनी दवा नियमित रूप से लें और अपने चिकित्सक से निर्देशानुसार दवाई प्रतिदिन, समय से और पूर्ण अवधि तक लें।
- औषधि को गर्मी, सीधे प्रकाश और नमी वाले स्थान जैसे घर और स्नान घर से दूर रखें।
- अपने डॉक्टर/क्लिनिक/हॉस्पिटल की पर्ची अपने पास संभाल कर रखें और परामर्श के समय उसे अवश्य दिखायें।
- यथा संभव अभिभावक दवा को अपनी देख-रेख में रखें और मरीज को नियमित रूप से दवा खिलायें।
- चिकित्सक के द्वारा निश्चित की गई मात्रा से अधिक मात्रा में दवाई की खुराक लेने की स्थिति में अपने चिकित्सक से या समीप के अस्पताल के आपातकालीन विभाग (इमरजेन्सी) से संपर्क करें।

### क्या नहीं करना चाहिए

- चिकित्सक द्वारा बताई गई खुराक से अधिक या कम मात्रा में दवाई न लें।
- दवा सिर्फ इसलिए बंद न कर दें कि आपकी बीमारी के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं।
- किसी और की मानसिक बीमारी से अपनी समस्या का मिलान कर अपना इलाज स्वयं करने की कोशिश न करें।
- दवाइयां प्रत्येक व्यक्ति पर एक जैसा प्रभाव नहीं छोड़ती इसलिए अपनी समस्याओं के लिए चिकित्सक से व्यक्तिगत परामर्श लें।
- किसी भी अन्य दवा के सेवन के बारे में चिकित्सक से मिल कर विचार विमर्श अवश्य करें।
- मनोरोग चिकित्सा की दवाओं के साथ शराब, मादक, उत्तेजक पदार्थ का सेवन न करें।
- बिना परामर्श के दवाओं को न तोड़ें, न चूसें और न ही पीसें।
- यदि दवाओं के साथ अन्य प्रकार की अनुपूरक चिकित्सा (साइकोथेरेपी) की सलाह दी गयी हो तो उसको टालें नहीं, ये आपके उत्कृष्ट एवं शीघ्र उपचार में सहायता करेगी।

दूरभाष संख्या: 0651-2450822, 0651-2450406, 0651-2451115, 0651-2450448



## मरीजों के अधिकार एवं कर्तव्य

### मरीजों के अधिकार:

- आपातकालीन सेवाओं के लिए उम्र, लिंग, धर्म, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को महत्व दिए बिना उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार।
- स्वयं का डॉक्टर चुनने का अधिकार।
- बिना किसी भेदभाव के उचित देखभाल और गरिमा के साथ अपना इलाज किए जाने का अधिकार।
- परामर्श और चिकित्सा के दौरान निजता के साथ इलाज का अधिकार।
- यह अपेक्षा करने का अधिकार कि उसके मामले से संबंधित सभी सूचनाएं और रिकॉर्ड गोपनीय रखे जाएं।
- निदान, उपचार और जांच के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार।
- अपने उपर की गई उपचार संबंधी प्रक्रियाओं की सुरक्षा के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार।
- दिन-प्रतिदिन की प्रगति, कार्रवाई की दिशा, निदान और पूर्वनिम्नान के बारे में जानने का अधिकार।
- उचित स्पष्टीकरण के बाद सूचित सहमति देने का अधिकार।
- किसी भी समय दूसरी राय लेने का अधिकार।
- अपने रिकॉर्ड को प्राप्त करने और इलाज संबंधी संक्षिप्त विवरणी मांगने का अधिकार।
- अपनी बीमारी के लिए निरंतर देखभाल प्राप्त करने का अधिकार।
- बीमारी के दौरान सुविधापूर्वक इलाज कराने और अनुवर्ती उपचार (फ़ोलो-अप) का अधिकार।
- शिकायत करने का अधिकार, शिकायतों के सुधार की अपेक्षा, चिकित्सा घाव/लापरवाही के लिए मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार।

### मरीजों के कर्तव्य:

- आप हमें अपने वर्तमान स्वास्थ्य, पिछली बीमारी, एलर्जी तथा किसी भी अन्य प्रासंगिक विवरण के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दें।
- निर्धारित और सहमत उपचार योजना का पालन करें और दिए गए निर्देशों का पालन करें।
- रोगी के आचरण से संबंधित अस्पताल के नियमों का पालन करते हुए अन्य रोगियों और अस्पताल के अधिकारों पर भी ध्यान दें।
- आपके द्वारा लिए गए अपॉइंटमेंट्स का अनुसरण करें, या यदि आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो जितनी जल्दी हो सके अस्पताल को सूचित करें।
- हमें गलत जानकारी या प्रमाणन प्रदान करने के लिए न कहें।
- अस्पताल में गंदगी न करें।
- कृपया कचरे को डिब्बे में डालें।
- उपयोग के बाद शौचालय को साफ रखें।
- अस्पताल परिसर के अंदर धूम्रपान न करें एवं न थूकें।
- पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अस्पताल का सहयोग करें।
- अपनी बारी की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें।
- कृपया शांति बनाए रखें।
- 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आगांतुकों के रूप में न लाएँ।



## **PATIENTS RIGHTS & RESPONSIBILITIES**

### **PATIENTS RIGHTS:**

- Right to access healthcare facilities available regardless of age, sex, religion, economic and social status to emergency services.
- Right to choose his/her own doctor.
- Right to be treated with care and dignity without any discrimination.
- Right to be treated in privacy during consultation and therapy.
- Right to expect that all the communications and records pertaining to his/her case to be kept confidential.
- Right to receive full information regarding diagnosis, treatment and investigations.
- Right to be informed about safety of procedures performed on him or her.
- Right to know about day to day progress, line of action, diagnosis and prognosis.
- Right to give informed consent after proper explanation.
- Right to get second opinion at any time.
- Right to access to his records and demand summary.
- Right to receive continuous care for his/her illness.
- Right to be treated in comfort during illness and follow up.
- Right to complain, expect rectification of grievances, obtain compensation for medical injuries/negligence.

### **PATIENTS RESPONSIBILITIES:**

- Give us as much information as you can about your present health, past illness, allergies and any other relevant details.
- Follow the prescribed and agreed treatment plan and comply with the instruction given.
- Show consideration for rights of other patients and hospital by following the hospital rules concerning patient conduct.
- Keep appointments that you make, or else notify the hospital as early as possible if you are unable to do so.
- Do not ask us to provide incorrect information or certification.
- Do not litter the hospital.
- Please throw garbage into bins.
- Keep toilet clean after use.
- Do not smoke or spit inside the hospital premises.
- Support the hospital in keeping environment clean.
- Wait patiently for your turn.
- Maintain silence.
- Do not bring children below 10 years as visitors.